फतेहगढ़ पुलिस

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

अमर उजाला

भतीजी से दुष्कर्म व साजिश, चाची समेत तीन आरोपी कोर्ट में तलब

आठ दिन तक दुष्कर्म करने का आरोप, धमकी और षड्यंत्र के आरोप में चलेगा मुकदमा

अदालत से

संवाद न्यूज एजेंसी

फर्रुखाबाद। किशोरी के साथ आठ दिन तक दुष्कर्म कराने और उसे धमकाकर चुप रखने के मामले में कोर्ट ने सुनवाई की है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)-01 मेराज अहमद की अदालत ने मुख्य आरोपी घनश्याम समेत एक रिश्तेदार तथा पीड़िता की सगी चाची को दुष्कर्म और धमकी देने के मामले में तलब किया।

विशेष पॉक्सो अदालत ने मामले को विशेष सत्र परीक्षण के रूप में दर्ज करने के आदेश देते हुए अभियुक्तों की हाजिरी के लिए 15 जून की तारीख तय की है।

कादरीगेट थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। इसमें बताया कि उसकी नाबालिग भतीजी के पिता की मृत्यु हो चुकी है, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की इस किशोरी को उसकी चाची ने आरोपी घनश्याम के घर घरेलू काम के बहाने भेजा। आरोप लगाया कि वर्ष 2022 में घनश्याम ने किशोरी से दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी देकर उसे चुप रहने को मजबूर किया।

इसके बाद आठ दिनों तक लगातार उसके साथ दुष्कर्म किया गया। जब उसने विरोध किया तो चाची ने उसे डराया कि यदि किसी को बताया तो उसकी जान चली जाएगी। पीड़िता ने अपने बयान में आरोप लगाया कि बाद में चाची का भाई भी उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट को पर्याप्त नहीं माना।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस ने सीडीआर का हवाला तो दिया गया लेकिन उसके समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में पुलिस रिपोर्ट को निर्णायक नहीं माना जा सकता। विद्यालय के टीसी प्रमाणपत्र के आधार पर अदालत ने माना कि घटना के समय पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम थी।

इसके बाद अदालत ने घनश्याम उर्फ भानू और एक अन्य व्यक्ति समेत पीड़िता की चाची को धारा दुष्कर्म, धमकी देने तथा पॉक्सो एक्ट तथा एससी-एसटी एक्ट के तहत तलब किया।

ग्रामीण को जिंदा जलाने की कोशिश में महिला दोषी करार

नवाबगंज के वीरपुर गांव की घटना, 29 मई को सुनाई जाएगी सजा

फर्रुखाबाद। रुपये देने से इन्कार करने के बाद गांव की महिला ने पति के साथ मिलकर गांव के ही राकेश पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इससे वह गंभीर रूप से झुलस गए। मामले में सुनवाई करते हुए त्वरित न्यायालय प्रथम ने आरोपी महिला ममता को दोषी करार दिया। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 29 मई की तारीख तय की है।

थाना नवाबगंज क्षेत्र के गांव वीरपुर निवासी राजबेटी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसके पति राकेश कुमार 27 अक्तूबर 2023 की सुबह 7 बजे गांव की ही रहने वाली ममता के घर पर थे। इसी दौरान ममता ने पति राकेश से रुपये मांगे। रुपये देने से मना करने पर ममता और उसके पति रमेश ने पति राकेश कुमार पर पेट्रोल डालकर माचिस से आग लगा दी। घटना में राकेश कुमार गंभीर रूप से झुलस गए। चीख-पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग बुझाई। इसके बाद परिजन राकेश को थाना नवाबगंज ले गए, जहां से प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी नवाबगंज भेजा गया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल फर्रुखाबाद रेफर कर दिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की। त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश संजय कुमार सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी ममता को दोषी करार दिया। (संवाद)

दैनिक जागरण

दुष्कर्म व पाक्सो के मुकदमे में महिला समेत तीन तलब

जागरण संवाददाता, फतेहगढ़ : घर पर काम करने के बहाने बुलाकर दो लोगों ने किशोरी से दुष्कर्म किया। पीड़िता ने इसकी शिकायत अपनी चाची से की तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। इसकी जानकारी होने पर पीड़िता के ताऊ ने छोटे भाई की पत्नी और दो पड़ोसियों के खिलाफ न्यायालय में अर्जी दायर की। सुनवाई के बाद विशेष अदालत पाक्सो एक्ट के न्यायाधीश ने तीनों आरोपितों को कोर्ट में तलब किया गया है।

कादरीगेट थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने अपने छोटे भाई की पत्नी और पड़ोसी घनश्याम उर्फ भानू व प्रेम के खिलाफ न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि उसके एक छोटे भाई की मृत्यु हो गई है और उसकी पुत्री मां के साथ रहती है। दूसरे छोटे भाई की पत्नी ने भतीजी को वर्ष 2022 में पड़ोसी घनश्याम के घर काम करने के लिए भेजा। घनश्याम ने उसके साथ दुष्कर्म किया और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। किशोरी ने घर आकर चाची को घटना की जानकारी दी तो चाची से धमकी देकर चुप कर दिया।

वह छत पर थी, तो पड़ोसी युवक प्रेम घर पर आया और उसने साथ दुष्कर्म किया। 10 सितंबर 2023 को घर पर कोई नहीं था, तभी दोनों आरोपित घर पर आए और किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने इसकी जानकारी ताऊ को दी। ताऊ ने तीनों आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया। सुनवाई के बाद विशेष अदालत पाक्सो एक्ट के न्यायाधीश ने आरोपित घनश्याम उर्फ भानू, प्रेम व पीड़िता की चाची को दुष्कर्म, धमकी व पाक्सो एक्ट के अपराध में तलब किया है।

मीडिया सेल फतेहगढ़

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़
उत्तर प्रदेश पुलिस
मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन
1090
थाना जहानगंज
#Fatehgarhpolice
महिला सहायता एवं सुरक्षा चक्र
1090
181
1076
112
1098
102
108

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

महिला थाना

#MissionShakti

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

थाना मेरापुर

महिला सहायता एवं सुरक्षा चक्र
1090
108
102
1076
1098
112

#MissionShakti

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

थाना कादरीगेट

मिशन शक्ति 5.0

थाना कम्पिल

मिशन शक्ति 5.0

कोतवाली मोहम्मदाबाद

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

थाना शमसाबाद

#MissionShakti

मिशन शक्ति 5.0

थाना जहानगंज

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

कोतवाली कायमगंज

#MissionShakti

मिशन शक्ति 5.0 फतेहगढ़

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

थाना कम्पिल

महिला सहायता एवं सुरक्षा चक्र
1090 108 181 102 1076 1098 112

#MissionShakti

1090

मिशन शक्ति 5.0

महिला थाना